न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 04/2023

अपीलार्थी

चतराराम पुत्र अनाजी, जाति– सरगरा, निवासी–पाडीव, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. भेराराम पुत्र कालुरामजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवालवास, सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

"अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह आढा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान, प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 04 अक्टूम्बर, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 02.1.2023 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या– 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आढा ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी भेराराम पुत्र कालुराम जी मेघवाल निवासी सिरोही ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी भेराराम के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा पाडीव, पटवार हल्का पाडीव, तहसील व जिला सिरोही में खसरा संख्या 2687 रकबा 0.6900 हेक्टेयर किश्म ब. II आई हुई है जिस पर पडौसी खातेदार चतराराम पुत्र अनाजी सरगरा निवासी पाडीव ने कब्जा हुआ है जिसे बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 03/2022 पर दर्ज कर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु तलब किया, जिस पर अपीलार्थी ने अपनी ओर से दिनांक 26.12.2022 को जवाब पेश किया व बाद मे अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को अपने निर्णय दिनॉक 02.01.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में व अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित किया गया है और अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की गई है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बचाव में साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर नही दिया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में प्र[illegible]संख्या– 1 व उसके गवाहान व अपीलान्ट व उसके गवाहान के बयान [illegible] मात्र प्रत्यर्थी भेराराम के प्रार्थना पत्र को ही आधार [illegible] साक्ष्य के अपीलार्थी को अतिकमी साबित मान कर व एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो काबिले [illegible] के है।

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही*

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में किसी भी पक्षकार व उनके गवाहान के बयान कलमबद्ध नही किये है तथा केवल मात्र पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट को आधार मान कर अपीलान्ट का कब्जा हटाने के आदेश देकर कानुनी व वाक्याती भूल की है। विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2687 रकबा 0.6900 हेक्टेयर रियासत काल से अर्थात 100 वर्षों से अधिक समय से अपीलान्ट व उसके पिता के कब्जे काश्त मे रही है व वर्तमान में मौके पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त है व अपीलार्थी अपने पिताजी के समय से उस पर खेती करता है जिसकी जानकारी अडौस पडोस के सभी खातेदारो को है, अपीलार्थी उक्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने से उसको खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो चुके है। उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2687 पर कभी भी भेराराम या देवेन्द्र डांगी पुत्र हुकमाराम डांगी, निवासी— सिरोही या श्रीमती पंकु, सती, सुनकी पुत्री धना, निवासी पाडीव या पुराराम पुत्र डुंगाराम त्रिगर निवासी— नया सानवाडा का कब्जा काश्त नही रहा है व न ही उपरोक्त लोगो ने उस पर कोई खेती की है। उपरोक्त लोगो ने समय समय पर कब्जे के अभाव में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाये है व बेनामी दस्तावेज तैयार करवाये है जिसकी आड में ये लोग भूमि हडपना चाहते है। यह कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 व 07.11.2022 से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी चतराराम का कब्जा है और खेजडी के पेड पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यह भूमि चताराम पुत्र अनाजी सरगरा, निवासी— पाडीव की पुश्तैनी भूमि है जिस पर 70 वर्ष से कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी भेराराम सिरोही शहर में निवासी करता है जो कभी भी गांव पाडीव में मौके पर नही आया है व न ही कब्जा लिया है। मौके पर अपीलार्थी का रियासतकाल से कब्जा काश्त है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.1.2023 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या—1 (भेराराम) के अधिवक्ता श्री चौहान ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी भेराराम के कब्जे—काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 2687 में रकबा 0.6900 हेक्टेयर आई हुई है। प्रत्यर्थी भेराराम की उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर पडौसी खातेदार चतराराम ने अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण किया व प्रत्यर्थी की खातेदारी भूमि में बाड कर बुवाई की गई। प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है एवं गरीब व्यक्ति है। प्रत्यर्थी भेराराम ने चतराराम को कब्जा हटाने हेतु बार—बार आग्रह करने के बाद भी अतिक्रमण नही हटाने से प्रत्यर्थी भेराराम ने अधीनस्थ न्यायालय में चतराराम पुत्र अनाजी सरगडा, निवासी— पाडीव के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा हल्का पटवारी, पाडीव से जांच करवाई जाने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रुप से जबरन कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार को ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने व अनुसूचित जाति के खातेदार कृषक को कब्जा दिलवाने के अधिकार प्रदत्त है। प्रत्यर्थी भेराराम जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है व अनुसूचित जाति [illegible] अनाधिकृत रुप से अपीलार्थी चतराराम द्वारा जबरन कब्जा किया जाने [illegible] अधी[illegible] न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा नियमानुसार कार्यवाही [illegible] पारित किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसील[illegible] दिनांक 02.1.2023 की पालना में

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही *

प्रत्यर्थी भेराराम को रुबरु मौतबिरान के दिनांक 22.2.2023 को कब्जा सुपर्द कर दिया है तथा अब मौके पर प्रत्यर्थी भेराराम काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.1.2023 की पालना भी हो चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी भेराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में राजस्थान काश्तकारी अधियिम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच एवं सुनवाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रत्यर्थी भेराराम पुत्र कालुराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी– सिरोही द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत अपीलार्थी चतराराम के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी भेराराम के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम पाडीव, पटवार हल्का पाडीव, तहसील व जिला सिरोही में खसरा संख्या 2687 रकबा 0.6900 हेक्टेयर आई हुई है जिस पर पडौसी खातेदार चतराराम पुत्र अनाजी सरगरा, निवासी पाडीव ने अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण किया है, जिसे हटाने का आदेश पारित किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पटवारी हल्का, पाडीव से मौके की जांच करवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का, पाडीव की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 तथा पटवारी हल्का, पाडीव व भू अभिलेख निरीक्षक, पाडीव की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 07.11.2022 में मौके पर प्रत्यर्थी भेराराम की खातेदारी कृषि भूमि पर चतराराम पुत्र अनाजी, जाति–सरगरा, निवासी– पाडीव का कब्जा होना अंकित किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 02.1.2023 के द्वारा अपीलार्थी चतराराम पुत्र अनाजी, जाति–सरगरा, निवासी– पाडीव को अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रत्यर्थी भेराराम को कब्जा सुपर्द किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

प्रकरण में प्रत्यर्थी भेराराम की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.1.2023 की पालना में तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 22.2.2023 को उक्त कृषि भूमि का प्रत्यर्थी भेराराम को रुबरु मौतबिरान के भौतिक रुप से कब्जा भी सुपर्द किया जा चुका है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.1.2023 की पालना हो जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रहती है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान क़ाश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)